<u>फाइल संख्या 6/44/2024-डीजीटीआर</u>

भारत सरकार

वाणिज्य विभाग

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

चौथा तल, जीवन तारा बिल्डिंग 5, संसद मार्ग, नई दिल्ली- 110001

दिनांक- 27 दिसंबर, 2024

जांच शुरुआत अधिसूचना

मामला संख्या एडी (ओआई)- 41/2024

<u>विषय- चीन जन.गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित '4, 4 डायमिनो स्टिलबिन 2, 2 डाइसलफोनिक एसिड (डीएएसडीए)' के आयातों के संबंध में पाटन रोधी जांच की शुरुआत।</u>

1. **<u>फा. संख्या संख्या 6/44/2024-डीजीटीआर:</u>** समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे यहां 'अधिनियम' कहा गया है) और समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, आकलन और संग्रहण तथा क्षति के निर्धारण हेतु) नियमावली, 1995 (जिसे यहां 'नियमावली' कहा गया है) के संबंध में, दीपक नाइट्रेट लिमिटेड (जिसे यहां 'आवेदक' कहा गया है) ने '4,4 डायमिनो स्टिलबिन 2, 2 डाइसल्फोनिक एसिड (डीएएसडीए)' (जिसे यहां 'विचाराधीन उत्पाद' या 'संबद्ध वस्तु' अथवा 'पीयूसी' कहा गया है) के आयातों पर एक पाटनरोधी जांच की शुरुआत के लिए निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें यहां 'प्राधिकारी' कहा गया है) के समक्ष एक आवेदन दायर किया है। वर्तमान जांच चीन जन.गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित 4,4 डायमिनो स्टिलबिन 2, 2 डाइसल्फोनिक एसिड (डीएएसडीए) के आयातों के संबंध में हैं।

2. आवेदक ने आरोप लगाया है कि संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को महत्वपूर्ण क्षति हो रही है और संबद्ध देश के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओँ के आयातों पर पाटन रोधी शुल्कों को लागू करने के लिए अनुरोध किया है।

क. <u>विचाराधीन उत्पाद</u>

3. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद 4,4 डायमिनो स्टिलबिन 2, 2 डाइसल्फोनिक एसिड (डीएएसडीए) है। उत्पाद को 2, 2' (1, 2- एथिलीनडायल) बिस (5- एमिनोबेनजेने सल्फोनिक एसिड), 4, 4 डायमिनोस्टिलबिन- 2, 2'- डाइसल्फोनिक एसिड और डीएसडी एसिड के रूप में भी जाना जाता है।

4. उत्पाद एक हल्के पीले रंग का पाउडर/क्रीम है जिसका प्रयोग डाई सामग्री के संश्लेषण में किया जाता है जैसे ऑप्टिकल ब्राइटनिंग एजेंट, फ्लोरोसेंट ब्राइटनिंग एजेंट आदि। उत्पाद की ग्राहकों की जरूरत के आधार पर विभिन्न सांद्रताओं जैसे 95%, 98% या 100% में आपूर्ति की जा सकती है।

5. उत्पाद एक रासायनिक मध्यवर्ती के रूप में काम करता है और इसका ऑप्टिकल ब्राइटनिंग एजेंट, फ्लोरोसेंट ब्राइटनिंग एजेंट जैसे डाई सामग्री के संश्लेषण में उपयोग किया जाता है। उत्पाद का कीट नाशकों में भी प्रयोग किया जा सकता है।

6. विचाराधीन उत्पाद के लिए वर्तमान जांच में विचार की गई माप की इकाई मीट्रिक टन (मी.टन.) है।

7. विचाराधीन उत्पाद को सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम के अध्याय 29 के तहत उपशीर्ष 2921 59 40 के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। वर्ष 2022 से पूर्व, विचाराधीन उत्पाद को 29215990 के अंतर्गत आयातित किया जाता था। वर्ष 2022 के पश्चात उत्पाद को एक पृथक वर्गीकरण प्रदान किया गया है और इसे 29215940 के अंतर्गत आयातित किया गया । उत्पाद को एचएस कोड 29215990 और 29214290 के अंतर्गत भी आयात किया जाता है। सीमाशुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और किसी भी तरह से जांच के कार्यक्षेत्र पर बाध्यकारी नहीं है।

8. वर्तमान जांच से संबंधित पक्षकार विचाराधीन उत्पाद पर अपनी टिप्पणियां उपलब्ध करा सकते हैं और जांच की शुरुआत की सूचना की प्राप्ति के परिचालित होने के 15 दिनों के भीतर पीसीएन (औचित्य सहित), यदि कोई हो, का प्रस्ताव कर सकते हैं। औचित्य के बिना प्रस्तुत किए गए अनुरोधों पर प्राधिकारी द्वारा विचार नहीं किया जाएगा।

ख. **समान वस्तु**

9. आवेदक ने अनुरोध किया है कि आवेदक द्वारा उत्पादित उत्पाद तथा संबद्ध देश से निर्यातित उत्पाद में कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं है और दोनों ही समान वस्तु है। आवेदक द्वारा उत्पादित उत्पाद और संबद्ध देश से आयातित उत्पाद अनिवार्य उत्पाद विशेषताओं के संदर्भ में तुलनीय है जैसे भौतिक और रासायनिक विशेषताएं, विनिर्माण विशिष्टताएं, कीमत निर्धारण, वितरण एवं विपणन और वस्तुओं का टैरिफ वर्गीकरण। उपभोक्ता इन दोनों का एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग कर सकते हैं और कर रहे हैं। ये दोनों तकनीकी औऱ वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं और इसलिए नियमावली के तहत इन्हें, समान वस्तु माना जाना चाहिए। इस प्रकार, वर्तमान जांच की शुरुआत के प्रयोजनार्थ, आवेदक द्वारा उत्पादित उत्पाद को प्रथमदृष्टया संबद्ध देश से आयात किए जा रहे उत्पाद के समान वस्तु माना गया है।

ग. **घरेलू उद्योग और स्थिति**

10 आवेदन दीपक नाइट्रेट लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है। आवेदक ने सत्यापित किया है कि वह नियमावली के नियम 2(ख) के अर्थों के भीतर न तो संबद्ध देश में संबद्ध वस्तु के किसी निर्यातक या उत्पादक से संबंधित है और न ही भारत में किसी आयातक से प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित है। आवेदक ने विचाराधीन उत्पाद का आयात नहीं किया है। चार अन्य उत्पादक हैं जिन्होंने जांच का न तो समर्थन किया है और न ही उस का विरोध किया है।

11. रिकार्ड पर उपलब्ध साक्ष्य के अनुसार यह देखा गया है कि आवेदक का उत्पादन भारत में समान वस्तु के घरेलू उत्पादन में प्रमुख समानुपात के लिए उत्तरदायी है। इसलिए, आवेदक नियमावली के नियम 2(ख) के अर्थों के भीतर 'घरेलू उद्योग' ठहरता है और आवेदन नियमावली के नियम 5(3) के अर्थों के भीतर स्थिति के मापदंडों को पूरा करता है।

घ. **संबद्ध देश**

12. वर्तमान जांच में संबद्ध देश चीन जन.गण. है।

ड. <u>जांच की अवधि</u>

13. आवेदक ने 1 अप्रैल 2023 से 30 जून 2024 (15 महीने) तक जांच की अवधि (पीओआई) प्रस्तावित की। आवेदक ने निम्नलिखित आधार पर 15 महीने की पीओआई का अनुरोध किया है:

क. 23 जुलाई से 24 जून की अवधि एक गैर-वित्तीय वर्ष होगी और लागत प्रारूप तैयार करने में महत्वपूर्ण चुनौतियाँ पैदा होंगी। इसके अलावा, आवेदक विचाराधीन उत्पाद के लिए आवश्यक कच्चे माल का उत्पादन स्वयं करता है। इसलिए, संपूर्ण लागत संबंधी जानकारी न केवल विचाराधीन उत्पाद के लिए, बल्कि कच्चे माल के लिए भी तैयार की जानी आवश्यक है।

ख. 23 अप्रैल से 24 जून और 23 जुलाई से 24 जून के बीच तुलना से पता चलेगा कि आयात की मात्रा और कीमत समान स्तर पर हैं।

14. तदनुसार, वर्मान जांच में विचारित जांच की अवधि 1 अप्रैल, 2023- 30 जून, 2024 है। क्षति अवधि में अप्रैल 2020- मार्च, 2021, अप्रैल 2021- मार्च 2022, अप्रैल 2022- मार्च, 2023 और जांच की अवधि शामिल है।

च. <u>कथित पाटन का आधार</u>

चीन जन.गण. के लिए सामान्य मूल्य

15. आवेदक ने चीन के एक्सेशन प्रोटोकोल के अनुच्छेद 15(क)(i) का उद्धरण दिया है और उसका सहारा लिया है और दावा किया है कि चीन जन.गण. को एक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था माना जाना चाहिए और चीन जन.गण. से उत्पादकों को यह प्रदर्शित करने का निर्देश दिया जाना चाहिए कि उत्पादन और विचाराधीन उत्पाद की बिक्री के संबंध में उद्योग में बाजार अर्थव्यवस्था स्थितियां प्रचलित है। जब तक कि चीन जन.गण. से उत्पादक यह न दर्शाए कि ऐसी बाजार अर्थव्यवस्था प्रचलित है, उनके लिए सामान्य मूल्य को पाटनरोधी नियमावली, 1995 के अनुबंध-I के पैरा 7 और 8 के अनुसरण में निर्धारित किया जाना चाहिए।

16. आवेदक ने प्रस्तुत किया है कि सामान्य मूल्य को एक बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में लागू कीमत या निर्मित सामान्य मूल्य के आधार पर निर्धारित करने के प्रयास किए गए थे। हालांकि, उत्पाद का मुख्य रूप से चीन और भारत में उत्पादन किया जाता है।

इसके अलावा, आवेदक ने यह अनुरोध किया है कि चूंकि, उत्पाद का केवल चीन जन.गण. से आयात किया जाता है, इसिलए, एक देश की कीमत के बारे में दूसरे देश की कीमत के आधार पर विचार नहीं किया जा सकता। इसलिए, आवेदक ने एक उचित लाभ-मार्जिन को शामिल करने के लिए भारत में वास्तव में अदा की गई या अदायगी योग्य समायोजित कीमत के आधार पर सामान्य मूल्य का दावा किया है। जांच शुरुआत के प्रयोजन हेतु आवेदक द्वारा प्रस्तावित सामान्य मूल्य पद्धति पर विचार किया गया है। हितबद्ध पक्षकार आवेदक द्वारा प्रस्तावित कार्यप्रणाली पर अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत कर सकते हैं।

निर्यात कीमत

17. विचाराधीन उत्पाद की निर्यात कीमत को डीजी सिस्टम में रिपोर्ट किए गए सौदावार आंकड़ों के अनुसार, विचाराधीन उत्पाद की सी आईएफ कीमत पर विचार करने के बाद निर्धारित किया गया है। समुद्री मालभाड़ा, समुद्री बीमा, कमीशन, बैंक प्रभारों, पत्तन व्ययों और अंतर्देशीय माल भाड़ा व्ययों के लिए समायोजनों का दावा किया गया है।

पाटन मार्जिन

18. सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत की कारखानागत स्तर पर तुलना की गई है, जो प्रथम दृष्टया यह स्थापित करता है कि संबद्ध देश से आयातित विचाराधीन उत्पाद के संबंध में पाटन मार्जिन न केवल न्यूनतम स्तर से अधिक है बल्कि महत्वपूर्ण भी है। इसलिए, इस बात के पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य हैं कि विचाराधीन उत्पाद को संबद्ध देश से आयातकों द्वारा भारत के घरेलू बाजार में पाटित किया जा रहा है।

छ. क्षति और कारणात्मक संबंध के साक्ष्य

19. आवेदक द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना पर घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति के आकलन के लिए विचार किया गया है। आवेदक ने कथित पाटित आयातों के कारण सामनी की जा रही क्षति के संबंध में प्रथम दृष्टया साक्ष्य उपलब्ध कराए हैं। जहां, परिणामस्वरूप एक सकारात्मक कीमत कटौती और कीमत में ह्रास हुआ है, वहीं आवेदक ने नियोजित पूंजी पर ऋणात्मक आय के साथ वित्तीय हानियों का सामना किया है। क्षमता में विस्तार के बावजूद, आवेदक के उत्पादन में गिरावट आई है। आवेदक के बाजार हिस्से और घरेलू बिक्रियों में भी गिरावट आई है। संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के पाटित आयातों द्वारा घरेलू उद्योग को हो रही क्षति के पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य मौजूद हैं।

ज. <u>पाटन रोधी जांच की शुरुआत</u>

20. आवेदक द्वारा विधिवत प्रमाण सहित लिखित आवेदन के आधार पर और संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के पाटन के संबंध में आवेदक द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रथम दृष्टया साक्ष्यों के आधार पर संतुष्ट होने पर, विचाराधीन उत्पाद के कथित पाटन के परिणाम स्वरूप घरेलू उद्योग को होने वाली परिणामी क्षति और ऐसी क्षति तथा पाटित आयातों के बीच कारणात्मक संबंधों तथा नियमावली के नियम 5 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क के अनुसरण में, प्राधिकारी एतद द्वारा संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के संबंध में पाटन की विद्यमानता, उसकी मात्रा और प्रभाव का निर्धारण करने तथा पाटनरोधी शुल्क की उचित राशि की सिफारिश करने के लिए, जो लागू किए जाने पर, घरेलू उद्योग की क्षति को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगी, एक पाटनरोधी जांच की शुरुआत करते हैं।

झ. <u>प्रक्रिया</u>

21. इस जांच में पाटनरोधी नियमावली के नियम 6 में निर्धारित प्रावधानों का अनुपालन किया जाएगा।

ञ. <u>सूचना प्रस्तुत करना</u>

22. निर्दिष्ट प्राधिकारी को समस्त पत्र ई-मेल पतों dir14-dgtr@gov.in और dd18-dgtr@gov.in पर जिसकी एक प्रति adv11-dgtr@gov.in और adg16-dgtr@gov.in पर भी ई-मेल के माध्यम से भेजी जानी चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अनुरोध का वर्णनात्मक भाग खोजने योग्य पीडीएफ/ एमएस वर्ड फार्मेट में हो तथा आंकड़ों की फाइलें एमएस एक्सेल फार्मेट में हो।

23. संबद्ध देश में ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों, भारत में उनके दूतावास के जरिए संबद्ध देश की सरकार और भारत में आयातकों और प्रयोक्ताओं, जो विचाराधीन उत्पाद के साथ संबद्ध होने के लिए ज्ञात हैं, को अलग से सूचित किया जा रहा है ताकि वे इस जांच शुरुआत अधिसूचना में उल्लिखित समय सीमा में सभी संगत जानकारी दायर कर सकें। ऐसी सारी

सूचना इस जांच शुरुआत अधिसूचना, नियमों और प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए प्रयोज्य व्यापार नोटिसों द्वारा यथा निर्धारित प्रपत्र और तरीके में दायर की जानी चाहिए।

24. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी इस जांच शुरुआत अधिसूचना में उल्लिखित समय सीमा के भीतर इस जांच शुरुआत अधिसूचना, नियमावली और प्राधिकारी द्वारा जारी प्रयोज्य व्यापार नोटिसों द्वारा यथा निर्धारित प्रपत्र और तरीके में वर्तमान जांच से संगत अनुरोध प्रस्तुत कर सकता है।

25. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने वाले किसी पक्षकार को किसी अन्य हितबद्ध पक्षकार को उपलब्ध कराए जाने के लिए उसका अगोपनीय अंश प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

26. हितबद्ध पक्षकारों को यह भी परामर्श दिया जाता है कि वे इस जांच के संबंध में किसी भी अद्यतन सूचना तथा जांच से जुड़ी जानकारी के साथ-साथ आगे की प्रक्रियाओं से भी अवगत रहने के लिए व्यापार उपचार महानिदेशालय की आधिकारिक वेबसाइट (https://www.dgtr.gov.in/) पर नियमित रूप से नजर रखें।

ट. <u>समय सीमा</u>

27. वर्तमान जांच से संबंधित कोई सूचना निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा परिचालित किए जाने के लिए आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के अगोपनीय पाठ को प्रस्तुत किए जाने अथवा नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार निर्यातक देश के उचित राजनयिक प्रतिनिधि को उसे दिए जाने की तारीख से 30 दिनों के भीतर ईमेल पतों dir14-dgtr@gov.in और dd18-dgtr@gov.in पर adv11-dgtr@gov.in और adg16-dgtr@gov.in को एक प्रति सहित ई-मेल के माध्यम से निर्दिष्ट प्राधिकारी को भेजी जानी चाहिए। यदि विहित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है या प्राप्त सूचना अधूरी होती है तो प्राधिकारी नियमावली के अनुसार और रिकार्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने परिणाम दर्ज कर सकते हैं।

28. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतदद्वारा वर्तमान मामले में अपने हित (हित के स्वरूप सहित) की सूचना देने और उपर्युक्त समय-सीमा के भीतर प्रश्नावली का उत्तर देने की सलाह दी जाती है जैसा कि इस अधिसूचना में निर्धारित किया गया है।

29. जहां कोई हितबद्ध पक्षकार अनुरोधों को दायर करने के लिए अतिरिक्त समय की मांग करता हैं तो उसे एडी नियमावली, 1995 के नियम 6(4) के अनुसार ऐसे समय विस्तार

के लिए पर्याप्त कारण दर्शाना चाहिए और ऐसा अनुरोध इस अधिसूचना में निर्धारित समय-सीमा के भीतर किया जाना चाहिए।

ठ. <u>गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत किया जाना</u>

30. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने या गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करने वाले वर्तमान जांच से संबंधित किसी पक्षकार द्वारा नियमावली के नियम 7(2) के अनुसार और इस संबंध में प्राधिकारी द्वारा जारी संगत व्यापार सूचनाओं के अनुसरण उसका अगोपनीय अंश भी साथ में प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

31. ऐसे अनुरोधों पर स्पष्ट रूप से प्रत्येक पृष्ठ के शीर्ष पर" गोपनीय "या "अगोपनीय" अंकित होना चाहिए। ऐसे अंकन के बिना प्रस्तुत की गई सूचना को प्राधिकारी द्वारा ''अगोपनीय'' माना जाएगा और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसे अनुरोध का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे।

32. गोपनीय पाठ में ऐसी सारी सूचना शामिल होगी, जो गोपनीय प्रकृति की है और अथवा ऐसी अन्य सूचना शामिल होगी, जिसके लिए उस सूचना के आपूर्तिकर्ता द्वारा गोपनीय होने का दावा किया गया है, जिस सूचना के गोपनीय प्रकृति की होने का दावा किया गया है अथवा जिस सूचना के अन्य कारणों से गोपनीय होने का दावा किया गया है, तो उस सूचना के आपूर्तिकर्ता को आपूर्ति की गई सूचना के साथ उचित कारण बताते हुए विवरण प्रस्तुत करना होगा कि क्यों ऐसी सूचना प्रकट नहीं की जा सकती।

33. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा की गई सूचना के अगोपनीय रुपांतरण को अधिमानतः सूचीबद्ध या रिक्त छोड़ी गई (यदि सूचीबद्ध करना व्यवहार्य न हो) गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय रूपांतरण की अनुकृति होना अपेक्षित है और ऐसी जानकारी को उस जानकारी के आधार पर उचित और पर्याप्त रूप से संक्षेपित किया जाना चाहिए जिस पर गोपनीयता का दावा किया गया है।

34. अगोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तृत होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना की विषयवस्तु को तर्कसंगत ढंग से समझा जा सके। तथापि, आपवादिक परिस्थितियों में गोपनीय सूचना के प्रदाता पक्षकार यह इंगित कर सकते हैं कि ऐसी सूचना का सारांश संभव नहीं है और नियमावली, 1995 के नियम 7 के संदर्भ में और प्राधिकारी द्वारा जारी यथोचित व्यापार नोटिसों के संदर्भ में प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार इस आशय के कारणों का एक विवरण उपलब्ध कराया जाना चाहिए कि सारांशीकरण क्यों संभव नहीं है।

35. हितबद्ध पक्षकार दस्तावेजों के अगोपनीय पाठ के परिचालन की तारीख से 7 दिनों के भीतर गोपनीयता के मुद्दों पर अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत कर सकते हैं।

36. सार्थक अगोपनीय रुपांतरण के बिना या नियमावली, 1995 के नियम 7 के संदर्भ में और प्राधिकारी द्वारा जारी यथोचित व्यापार नोटिसों के संदर्भ में गोपनीयता के दावे के बारे में पर्याप्त और यथोचित कारण के विवरण के बिना किए गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड में नहीं लिया जाएगा।

37. प्रस्तुत सूचना के स्वरूप की जांच करने के बाद प्राधिकारी गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध अपेक्षित नहीं है अथवा सूचना प्रदाता उक्त सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्य रूप में अथवा सारांश रूप में उसके प्रकटन को प्राधिकृत करने का अनिच्छुक है तो वह ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं।

38. प्राधिकारी के संतुष्ट होने पर और प्रदान की गई सूचना की गोपनीय होने की जरूरत को स्वीकार करते हुए, ऐसी सूचना प्रदान करने वाले पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकार के बिना किसी अन्य पक्षकार को इसे प्रकट नहीं करेंगे।

ड. <u>सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण</u>

39. सभी पंजीकृत हितबद्ध पक्षकारों की एक सूची डीजीटीआर की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी जिस में उनसे सभी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उनके अनुरोध का अगोपनीय पाठ भी ई-मेल करने का निवेदन किया जाएगा।

40. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार इस जांच शुरुआत अधिसूचना में प्राधिकारी द्वारा निर्धारित उचित अवधि के भीतर आवश्यक सूचना जुटाने से मना करता है अथवा उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी ऐसे हितबद्ध

पक्षकार को असहयोगी घोषित कर सकते हैं और अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज करा सकते हैं और केंद्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

दर्पण जैन

(दर्पण जैन)

निर्दिष्ट प्राधिकारी